इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 109] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2013—फाल्गुन 24, शक 1934

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. 918-1143-2013-दो-सी-1.—चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध किया जाए,

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का, दिनांक 18 मार्च 2013 से तीन माह की अवधि के लिए प्रतिषेध करती है:—

अनुसूची

वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक वर्ती (आपरेटिव) तथा अनुसचिवीय कोर्मिक, जो—

(एक) उचित मूल्य की दुकानों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली से—

(दो) (क) खाद्यान्नों और;

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 कें अधीन यथा-परिभाषित अन्य आवश्यक वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उपापन से;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. 918-1143-2013-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 मार्च, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

Bhopal, the 15th March 2013

No. 918-1143-2013-II-C-1.—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the Schedule below;

Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashyak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979) the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential services specified in the Schedule with effect from 18th March, 2013 for a period of three months:—

SCHEDULE

Scientific, technical, executive, operative and Ministerial personnel connected with—

(i) public distribution system of fair price shops;

(ii) Procurement under public distribution system of—

(a) Food Grains; and

(b) Other essential commodities as defined under the Essential Commodities Act, 1955;

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
D. P. GUPTA, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.